GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1083
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4TH DECEMBER, 2015
AGRAHAYANA 13, 1937 (SAKA)

Disposal of Seized Drugs

1083. SHRI M. RAJA MOHAN REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government has laid down guidelines/procedures for storing and destroying various types of seized drugs including Brown Sugar, Charas, Smack Heroin, Ganja, Opium, Cocaine etc.;
(b) if so, the details thereof;
(c) the quantity of such drugs seized during each of the last three years and the current year; and
(d) the manner in which the drugs were disposed off ?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE:
(SHRI JAYANT SINHA)

(a) & (b) The Narcotics Control Bureau, which is the coordinating agency for all the law enforcement agencies under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), has issued Standing Order No.2/88 dated 11.04.1988 outlining the procedures for storage of substances seized under the said Act. Further, having regard to the hazardous nature, vulnerability to theft, substitution, and constraints of proper storage space, in exercise of the powers conferred by section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985) the Central Government has issued notification No. G.S.R. 38 (E) dated 16.01.2015, specifying the narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances which shall, as soon as may be after their seizure, be disposed of, the officers who shall dispose them of and the manner of their disposal.

(c) Quantity of drugs seized during 2012 – 2015 is as under:-

S No.	Drug	Quantity of drug seized (in Kgs)			
		2012	2013	2014	2015 (till Oct.)
1	Opium	3625	2333	1766	853
2	Morphine	263	07	25	58
3	Heroin	1033	1450	1371	758
4	Ganja	77149	91792	108300	70159
5	Hashish	3385	4407	2280	2248
6	Cocaine	44	47	15	51
7	Methaqualone	216	3205	54	88
8	Ephedrine	4393	6655	1330	47
9	Acetic Anhydride	363	243	54	04
10	ATS	40	85	196	136

(d) A number of agencies of both Central Government and State Governments have been empowered to enforce the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985), who takes action for disposal of the seized materials as per the procedures outlined in the aforesaid notification issued under Section 52A of the said Act.

******

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1083

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015/13 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

बरामद ड्रग्स का निपटान

1083. श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्राउन शुगर, चरस, स्मैक, हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकीन इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के ड्रग्स के भंडारण और नष्ट करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश/ प्रक्रिया तय की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बरामद किए गए ऐसे ड्रग्स की मात्रा कितनी है; और

(घ) ड्रग्स किस स्वरूप में समाप्त किए गए थे?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जो कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अंतर्गत, कानून प्रवर्तन के सभी अभिकरणों के लिए समन्वयकारी अभिकरण है, ने दिनांक 11.04.1988 का स्थायी आदेश सं. 2/88 जारी किया है, जिसमें उक्त अधिनियम के अंतर्गत जब्त किए गए पदार्थों के भण्डारण की प्रक्रिया की रूपरेखा बताई गई है। इसके अतिरिक्त इन पदार्थों के जोखिम स्वरूप, इनकी चोरी की संभाव्यता, प्रतिस्थापन और समुचित भण्डारण स्थान की कमी के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 52 क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16.01.2015 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38 (अ) जारी की है जिसमें ऐसी स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रण पदार्थों और वाहनों जिनका उनकी जब्ती के पश्चात निपटान किया जाएगा तथा ऐसे अधिकारी जो इनका निपटान करेंगे तथा इनके निपटान का क्या तरीका होगा, को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग): 2012-15 के दौरान जब्त की गई औषधियों की मात्रा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	औषधि का नाम	जब्त की गई औषधि की मात्रा (किग्रा. में)			
		2012	**2013**	**2014**	**2015 (अक्तूबर तक)**
1	ओपियम	3625	2333	1766	853
2	मार्फीन	263	07	25	58
3	हेरोइन	1033	1450	1371	758
4	गांजा	77149	91792	108300	70159
5	हाशिश	3385	4407	2280	2248
6	कोकीन	44	47	15	51
7	मेथाक्वालोन	216	3205	54	88
8	इफिड्रिन	4393	6655	1330	47
9	एसिटिक एनहाइड्राइड	363	243	54	04
10	एटीएस	40	85	196	136

(घ): केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बहुत से अभिकरणों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार दिया गया है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 52 क के अंतर्गत जारी उक्त अधिसूचना में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई सामग्री के निपटान के लिए कार्रवाई करते हैं।

******